झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के दिनांक–19.09.2023 से दिनांक–23.09.2023 तक पाकुड़, साहिबगंज, देवघर एवं गिरिडीह जिले से सम्बन्धित भ्रमण प्रतिवेदन।

1. पाकुड़ जिला में दिनांक–20.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–20.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक पाकुड़ जिला अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 125 में से 102 पंचायतों के मुखियागण उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त पाकुड़ जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधीक्षक, पणन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गई। अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा मुख्य रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं मुखिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

  आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

2. पाकुड़ जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान।

- श्रीमती माड़ी पहाड़िन, मुखिया, पंचायत–करमाटांड, प्रखण्ड–लिट्टीपाड़ा द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2023 का चावल नहीं आया है। इस पर अध्यक्ष ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी,

पाकुड़ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मुखिया से भी कहा गया कि शिकायत होने पर वे लिखित रूप में शिकायत दें। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़)**

- श्री एनथोनी सोरेन, मुखिया, पंचायत–धोवाडांगा, प्रखण्ड–हिरनपुर द्वारा इस प्रकार का संवाद कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित करने का सुझाव दिया गया।
- मुखिया द्वारा बताया गया कि PVTG परिवार को 35 कि0ग्रा0 राशन दिया जाता है। यदि सामान्य कार्डधारी परिवार के सदस्य बढ़ जाते हैं, तो राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाता है। PVTG परिवारों में सदस्य बढ़ जाते हैं, फिर भी उन्हें 35 कि0ग्रा0 राशन तक में ही सीमित रखा जाता है। इस पर अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इस मामले को विभागीय मंत्री के समक्ष उठा चुके हैं एवं विभागीय मंत्री द्वारा इस पर जाँच का निर्देश दिया गया है एवं उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि कहीं–कहीं पर यदि 07 से अधिक सदस्य हैं, तो वैसे परिवार को PH कार्ड में परिवर्तित किया जाए, ताकि उन्हें सदस्यों के आधार पर राशन का लाभ मिल सके। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इस संदर्भ में कई शिकायतें एवं समस्याएँ आ रही हैं। इस संदर्भ में उपायुक्त से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि PVTG परिवार के मामले में क्या गड़बड़ियाँ हो रही है, क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वैसे PVTG परिवार जिनके सदस्य 07 से अधिक हों, तो उनका राशन कार्ड PH में परिवर्तित कर दिये जाने से प्रति सदस्य के आधार पर लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि PVTG परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर उस परिवार को तोड़ कर दो कार्ड बना दिया जा रहा है। उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़)**
- श्री विकास गोंड, मुखिया, पंचायत–शहरकोल, प्रखण्ड–पाकुड़ द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में 08 डीलर हैं। सभी डीलरों को आवंटन बहुत कम मिलने, 08 डीलर में से 04 डीलर जो अनपढ़ हैं, उनका दुकान बिचौलिये द्वारा चलाये जाने, हरा राशन कार्ड में लाभुकों को अनाज नियमित तौर पर नहीं मिलने एवं पंचायत में बिजली की लचर व्यवस्था के सम्बन्ध में बताया गया। साथ ही सुझाव दिया गया कि इस सम्बन्ध में विभाग स्तर से सुधार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि डीलर के पास पहले का स्टॉक रहने के कारण उन्हें आवंटन कम मिला है। यदि डीलर कहता है कि उन्हें आवंटन कम मिला है, तो मुखिया उसके पिछले स्टॉक की जाँच करें। हरा राशन कार्ड में कुछ तकनीकि समस्याओं के कारण अनाज नहीं मिल पा रहा है, विभाग द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही बिजली की लचर व्यवस्था के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा

लिखित रूप में शिकायत आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर दर्ज करने हेतु कहा गया, आयोग द्वारा सम्बन्धित सचिव को पत्र भेज दिया जाएगा।

- श्री मनोज मरांडी, मुखिया, पंचायत–देवीनगर, प्रखण्ड–महेशपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस माह का अनाज भेजा जा रहा हो एवं डीलरों के आवंटन की सूचना पणन पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित पंचायत के मुखिया को दी जाए। सभी मुखिया का नं0 पणन पदाधिकारी के पास हो। इस पर अध्यक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं इस मामले में विभाग से पत्राचार करने की बात कही गई। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि मुखिया को जानकारी होनी चाहिए कि किस डीलर को कितना और कब अनाज मिला है। निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होने के नाते मुखिया डीलर से स्टॉक रजिस्टर लेकर जाँच करें। अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ को निर्देश दिया गया कि डीलर को दिये जाने वाले अनाज का आवंटन एवं समय के बारे में पणन पदाधिकारी के माध्यम से सभी मुखिया को अवगत कराएँ। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़)**
- श्री सुलेमान मुर्मू, मुखिया, पंचायत–बागशीशा, प्रखण्ड–हिरणपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि जितने भी डीलर हैं, उनके सामने अनाज का वजन हो एवं उनके देखरेख में अनाज जाना चाहिए।

3. पाकुड़ जिला में दिनांक–20.09.2023 को अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 03.30 बजे तक जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

- दिनांक–20.09.2023 को अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 03.30 बजे तक पाकुड़ जिला के परिसदन भवन में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त पाकुड़ जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन, पणन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए शीघ्र कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

- बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यदि किसी अवधि का राशन का आवंटन नहीं आता है, तो अधिकारियों द्वारा विभाग से किये गये पत्राचार की प्रति आयोग को भी भेजा जाए, ताकि आयोग स्तर से भी कार्रवाई की जा सके। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पाकुड़ को निर्देश दिया गया कि यदि डीलर को निलंबित किया जाता है एवं लाभुकों को जितने अवधि तक का राशन नहीं मिलता है, तो उन्हें सवा गुना मुआवजा उपलब्ध कराएँ। किसी भी परिस्थिति में लाभुक अपने अधिकार से वंचित न हो। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी आदेश पारित करने के बाद इसकी ट्रैकिंग करें कि पारित आदेश का अनुपालन किया गया अथवा नहीं। **(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पाकुड़)**

- अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ को जिले के सभी विद्यालयों का निरीक्षण करने एवं बच्चों को दिये जाने वाला भोजन कूकिंग गैस में बने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आयोग को लिखित रूप में देने हेतु कहा गया, ताकि आयोग स्तर से भी इस संदर्भ में विभाग से पत्राचार किया जा सके। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी विद्यालयों में मेन्यू का display ऐसे स्थान पर अंकित किया जाए, जहाँ सभी की नजर पड़े। **(अनुपालन–जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़)**

- बैठक में अध्यक्ष द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पाकुड़ को निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र में वॉल पेंटिंग/होर्डिंग लगाएँ एवं योजनाओं की जानकारी अंकित कराएँ। हाट बाजार में माईकिंग के माध्यम से योजनाओं का प्रचार–प्रसार कराने का निर्देश अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पाकुड़ को दिया गया। **(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पाकुड़)**

- बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जिले में 03 कुपोषण उपचार केन्द्र हैं, जो सदर अस्पताल, लिट्टिपाड़ा एवं महेशपुर में संचालित हैं, जहाँ सहिया के माध्यम से कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराया जाता है। कई कुपोषित बच्चों के अभिभावक द्वारा बच्चों को केन्द्र में भर्ती नहीं कराया जाता है। इस पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा सुझाव दिया गया कि Community level जैसे पंचायत स्तर या आंगनबाड़ी केन्द्र में ही बच्चों का उपचार किया जा सकता है एवं केन्द्र में ही पोषाहार उपलब्ध कराया जा सकता है। अध्यक्ष

द्वारा कहा गया कि DMFT/CSR फंड से भी कुपोषित बच्चों का उपचार किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में आयोग उपायुक्त, पाकुड़ से पत्राचार करेगा।

4. साहेबगंज जिला में दिनांक–21.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–21.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक साहेबगंज जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 162 में से 83 पंचायतों के मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या के अतिरिक्त साहेबगंज जिले के उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन, अंचल अधिकारी आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

5. साहेबगंज जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान।

- श्री माईकल मरांडी, मुखिया, पंचायत–सनमनी, प्रखण्ड–बरहेट द्वारा बताया गया कि सतर्कता समिति/निगरानी समिति के सम्बन्ध में मुखियागण को जानकारी नहीं है। पंचायत के डीलर द्वारा लाभुकों को दिये जाने वाले राशन में आधे राशन की कटौती की जा रही है। मुखिया को जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित आवंटन एवं पी0 एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) से सम्बन्धित जानकारी नहीं मिलती है। इससे सम्बन्धित जानकारी मुखिया को भी दी जानी चाहिए। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आयोग इस संदर्भ में विभाग से पत्राचार करेगा। डीलर के इस प्रकार के

तर्क को स्वीकार नहीं करें कि उन्हें राशन कम मिलता है। लाभुकों को पूरा राशन मिलना है। डीलर के पास पिछले माह का बैलेंस रहने के कारण ही उन्हें आवंटन कम मिलता है।

- मो0 इस्तीयाक, मुखिया, पंचायत–दरियापुर, प्रखण्ड–बरहरवा द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में अंत्योदय कार्ड की योग्यता रखने वाले किन्हीं भी लाभुक का अंत्योदय कार्ड नहीं बन पाया है। इस पर अध्यक्ष द्वारा उन्हें लिखित रूप में आयोग में शिकायत दर्ज करने हेतु कहा गया ।
- श्री कमल मंडल, मुखिया, पंचायत–श्रीधर दियारा, प्रखण्ड–उधवा द्वारा बताया गया कि जो राशन कार्ड रद्द करने के लिये जिला कार्यालय में दिया जाता है एवं जिस पंचायत का राशन कार्ड रद्द होता है, तो उसी पंचायत के लाभुकों का राशन कार्ड बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई राशन डीलर राशन का वितरण करते हैं, किन्तु यदि वे ई–पॉस मशीन में सही ढंग से इंट्री नहीं कर पाये, तो उन्हें अगले माह आवंटन कम मिलता है एवं डीलर द्वारा लाभुकों को कम राशन दिया जाता है। मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि यदि ऐसी स्थिति आती है, तो डीलर का वितरण पंजी को देखते हुए उन्हें आवंटन दिया जाए। इस पर अध्यक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं मामले में आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार करने की बात कही गई।
- श्री नीरज बेसरा, मुखिया, पंचायत–विसुनपुर, प्रखण्ड–बोरियो द्वारा बताया गया कि कार्डधारियों से अंगूठे का निशान ले लिया गया किन्तु राशन नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि जब तक राशन नहीं मिले अंगूठा नहीं लगाना है। सभी मुखिया अपने क्षेत्र के लोगों को इस सम्बन्ध में जागरूक करें।
- श्री पौलुस मुर्मू, मुखिया, पंचायत–वृंदावन, प्रखण्ड–तालझारी द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत के साथ–साथ पूरे जिले में आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि अब तक मुहैया नहीं कराया गया है। इस पर अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, साहेबगंज को जाँच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मुखिया द्वारा यह भी बताया गया कि कोई लाभुक द्वारा यदि विगत माह राशन का उठाव नहीं करता है, तो डीलर द्वारा उन्हें अगले माह बकाया राशन नहीं दिया जाता है। इस सम्बन्ध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा बताया गया कि वर्तमान में माह अगस्त एवं सितंबर दोनों माह का राशन का वितरण किया जा रहा है। अगस्त माह का राशन वितरण करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, इस के बाद राशन लैप्स हो जाएगा। **(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, साहेबगंज)**
- पंचायत–गंगा प्रसाद पश्चिमी मध्य, प्रखण्ड–सदर के मुखिया द्वारा बताया गया कि जनता को जागरूक करने से पहले मुखिया को जानकारी मिलनी चाहिए। जिला एवं प्रखण्ड स्तर से राशन के आवंटन की जानकारी मुखिया को मिलनी चाहिए। राशन डीलर द्वारा 5 से 6 कि0ग्रा0 राशन काटा

जाता है या राशन नहीं दिया जाता है। इस पर अध्यक्ष द्वारा आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया।

- श्री काबील आहमद, मुखिया, पंचायत–श्रीकुण्ड, प्रखण्ड–बरहरवा द्वारा कहा गया कि आंगनबाड़ी या विद्यालय को मिलने वाले राशन, अण्डा आदि के आपूर्ति में मुखिया का हस्ताक्षर होना चाहिए।

6. साहेबगंज जिला में दिनांक–21.09.2023 को अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 03.30 बजे तक जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

- दिनांक–21.09.2023 को अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 03.30 बजे तक साहेबगंज जिला के परिसदन भवन में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त साहेबगंज जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, आदि उपस्थित रहे। समीक्षात्मक बैठक में ससमय उपस्थित नहीं रहने के कारण जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज एवं जिले में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति से आयोग को अवगत नहीं कराने के कारण जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु उपायुक्त, साहेबगंज को पत्र प्रेषित करने का निर्देश आयोग कार्यालय को दिया गया। आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए 07 दिनों के अन्दर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया।
- बैठक के दौरान अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित जितने भी पदाधिकारी हैं, यदि उन्हें विभाग से आवंटन नहीं आ रहा हो, विद्यालयों में कूकिंग कॉस्ट विलंब से मिल रहा हो, आंगनबाड़ी केन्द्रों में अण्डा नहीं आ रहा हो, तो अपनी सुविधानुसार आयोग को अद्यतन स्थिति से अवगत करा दें। इससे शिकायत आने पर अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। **(अनुपालन–सभी सम्बन्धित पदाधिकारी, साहेबगंज)**

- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश दिया गया कि यदि उनके पास फंड है, तो आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर योजना से सम्बन्धित होर्डिंग लगवाना सुनिश्चित करें। यदि होर्डिंग संभव नहीं हो तो वॉल पेंटिंग कराया जाए। फंड नहीं है, तो जिले के उपायुक्त से संपर्क करें अथवा आयोग को सूचित करें, ताकि आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार किया जा सके। **(अनुपालन–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज)**
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी जनवितरण प्रणाली केन्द्र में सूचना पट्ट लगवाना सुनिश्चित किया जाए, जिसमें सभी जानकारी अंकित हो। साथ ही समय–समय पर पणन पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा पंचायत सेवक के माध्यम से राशन डीलर के सूचना पट्ट की जाँच कराएँ। **(अनुपालन–जिला आपर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज)**
- आयोग द्वारा कई विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में विद्यालयों में मेन्यू ऐसे स्थान पर लिखा हुआ पाया गया, जहाँ किसी की नजर नहीं पड़े। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले के सभी विद्यालयों में मेन्यू ऐसे स्थान पर अंकित कराया जाए, जहाँ बच्चे उसे देख सकें। **(अनुपालन–जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज)**
- अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि कई अभिभावक अपने अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती नहीं कराते हैं। उन्हें लगता है कि यदि एक बच्चे को केन्द्र में भर्ती करा देंगे, तो उनके अन्य बच्चों का देखभाल कौन करेगा। अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि ऐसे लोगों को जागरूक करें एवं कम्यूनिटी कॉन्सिलिंग कराएँ, क्योंकि जितनी तत्परता से कुपोषित बच्चे केन्द्र में आने चाहिए, उतनी तत्परता से नहीं आते हैं। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं का प्रचार–प्रसार कराने का निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–सिविल सर्जन, साहेबगंज)**

7. देवघर जिला में दिनांक–22.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–22.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक देवघर जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 194 में से 117 पंचायतों के मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या के अतिरिक्त देवघर जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, आदि उपस्थित रहे। सभी

पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

8. देवघर जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान।

- मुखिया संघ के महामंत्री द्वारा शिकायत की गई कि वे लोग सुबह 10.30 बजे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, किन्तु जिला प्रशासन द्वारा पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर अध्यक्ष द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा करना सिर्फ मुखिया का अपमान नहीं है, बल्कि ये आयोग का अपमान है। अध्यक्ष ने सभी मुखिया से जिला प्रशासन की अव्यवस्था पर माफी मांगी। अध्यक्ष ने मंच से घोषणा कर दी कि मुखिया के अपमान के कारण वो स्वयं एवं आयोग की पूरी टीम जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया दिन का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अध्यक्ष की इस घोषणा के बाद मुखियागणों का गुस्सा शांत हुआ। सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने हेतु आयोग कार्यालय को निर्देश भी दिया गया। मुखिया संघ के महामंत्री द्वारा बताया गया कि डीलर द्वारा मुखिया के सामने राशन का वितरण नहीं किया जाता है। डीलर को मिलने वाले आवंटन से सम्बन्धित जानकारी मुखिया को दी जाए। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आयोग की ओर से इस आशय का पत्र विभाग को लिखा जाएगा।
- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि जब भी मुखिया द्वारा शिकायत की जाती है, तो इस पर जिला प्रशासन गंभीरता दिखाए। स्वास्थ्य केन्द्र में CSO एवं ANM भी उपलब्ध रहे। पोषन सम्बन्धी जितनी भी योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इससे सम्बन्धित होर्डिंग सभी पंचायतों में लगाया जाए। ताकि लाभुकों को पोषन, स्वास्थ्य, जनवितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं विद्यालयों से सम्बन्धित जानकारी मिल सके। यदि राशन डीलर को राशन कम मिलता है, तो इसकी सूचना पहले दी जाए। कभी–कभी विद्यालयों से इस

प्रकार की शिकायतें मिलती है कि राशि नहीं है। ऐसे में चावल एवं अण्डा कहाँ से लाया जाए? विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में पोषण की समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित किया जाए। पोषण से सम्बन्धित योजनाओं का प्रबंधन पंचायत स्तर पर हो।

- कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि राशन डीलरों की संख्या बढ़ाई जाए। कई पंचायतों में राशन डीलर की संख्या 01 या 02 है। लाभुकों को 05 से 06 कि0मी0 दूर जा कर राशन का उठाव करना पड़ता है। बहुत सारे जनवितरण प्रणाली दुकान चलाने वाले स्वयं सहायता समूह ऐसे हैं, जिनके अध्यक्ष एवं सचिव का देहांत हो चुका है, राशन दुकान कौन चला रहा है ? डीलर की संख्या बढ़ाये जाने के मामले में अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा इस पर रोक लगी हुई है। किन्तु आयोग द्वारा विभाग से इस सम्बन्ध में पत्राचार किया जाएगा कि यदि किन्हीं राशन डीलर की अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द की जाती है, तो उसके स्थान पर किन्हीं अन्य को डीलरशिप दिया जाए, ताकि लाभुकों को परेशानी न हो। यदि किसी लाभुक को राशन दुकान दूर लगे तो "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" के तहत् किसी दूसरे डीलर से राशन ले सकता है। जो व्यवस्थाएँ वर्तमान में है, उसी में सुधार करना होगा।
- मुखिया द्वारा शिकायत की गई कि लाभुकों को राशन लेने के लिये 05 दिन तक डीलर के पास दौड़भाग करना पड़ता है, इस पर अध्यक्ष ने लिखित रूप में शिकायत दर्ज करने हेतु कहा। मुखिया द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सभी मुखिया को अन्य 28–29 विभाग भी देखना होता है, इस हेतु विभाग को भी सक्रिय किया जाए एवं अधिकारी भी बीच–बीच में विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं जनवितरण प्रणाली केन्द्रों का निरीक्षण मुखिया के साथ करें। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, देवघर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारद पदाधिकारी, देवघर)**
- श्री सुधीर यादव, मुखिया, पंचायत–चेतनारी, प्रखण्ड–मारगोमुण्डा द्वारा बताया गया कि राशन डीलर सहेली स्वयं सहायता द्वारा लाभुकों को 08–10 दिन परेशान करने के बाद राशन का वितरण करता है। इसकी शिकायत पणन पदाधिकारी एवं जिला को भी की गई, किन्तु कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अध्यक्ष द्वारा आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करने हेतु कहा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि आयोग को भेजे जाने वाले शिकायत–पत्र में इस बात का जिक्र भी करें कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, देवघर का न तो नं0 है, न पता है, शिकायत कहाँ दर्ज करना है, इसकी जानकारी नहीं है।
- संवाद कार्यक्रम में एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि सभी पंचायतों के मुखिया एवं राशन डीलर के साथ अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति

पदाधिकारी की उपस्थिति में बैठक का आयोजन हो। जो बातें आयोग के कार्यक्रम में कही गई, वही बातें वहाँ भी कही जाए। इस पर अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, देवघर को निर्देश दिया गया कि वे प्रखण्डवार ऐसे बैठकों का आयोजन करें। बैठक कब करेंगे, इसकी सूचना आयोग को 07 दिनों के अन्दर दें। हर प्रखण्ड के सम्बन्धित पंचायत के मुखिया, राशन डीलर, आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने में जितने लोग हैं, प्रखण्ड में यदि कुपोषण उपचार केन्द्र है, तो उसके प्रभारी एवं विद्यालयों के अध्यक्ष तथा सचिव के साथ बैठक करें। जिले के पदाधिकारी एवं प्रखण्ड के पदाधिकारी बैठक करें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का सफल क्रियान्वयन कैसे हो ? **(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, देवघर)**

- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि जैसे राशन डीलर के दुकान के बाहर सूचना पट्ट होता है, जिसमें आवंटन एवं भण्डारण से सम्बन्धित सूचना अंकित रहती है। उसी प्रकार विद्यालयों में भी बोर्ड लगा हुआ हो कि आवंटन एवं अनाज का भण्डारण कितना है। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि भण्डार से कोई मतलब नहीं है। विद्यालय के बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन मिले, कहाँ से देंगे यह विद्यालय की समस्या है। विद्यालय के प्रबंध समिति को भी शिकायत करने का अधिकार है कि उन्हें भण्डार समय पर नहीं मिलता है। विद्यालय की निगरानी करें कि बच्चों को भोजन मिल रहा है या नहीं एवं भोजन गुणवत्तापूर्ण है या नहीं।
- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि घर में सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण कार्डधारियों को आपस में राशन बांटने में समस्या होती है। सुझाव दिया गया कि यदि एक कार्ड में 10 व्यक्ति हैं, तो उन्हें दो राशन कार्ड में बांट दिया जाए। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर द्वारा कहा गया कि यदि किसी कार्ड में 10 व्यक्ति हैं एवं उनमें से 04 व्यक्ति का कार्ड अलग करना है, तो उन 04 व्यक्तियों का आधार संख्या एवं किसी एक व्यक्ति का मोबाइल नं0 के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय में आवेदन दें, उनका अलग राशन कार्ड बना दिया जाएगा। चूंकि यह DSO login से होता है, इसलिए जिला आपूर्ति कार्यालय आना होगा।
- श्री जगन्नाथ रावन, मुखिया, पंचायत–बडबाड, प्रखण्ड–सारठ द्वारा बताया गया कि किसी राशन डीलर की शिकायत की गई थी, तो उसे निलंबित कर दिया गया था एवं निलंबित डीलर के कार्डधारियों को दूसरे पंचायत के डीलर के साथ संबद्ध कर दिया गया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मुखिया द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जिस प्रकार से हरा राशन कार्डधारियों को 05 कि0ग्रा0 का पैकेट दिया जाता है, उसी प्रकार PH एवं AAY कार्डधारियों को भी 05 कि0ग्रा0 के राशन का पैकेट दिया जाए। अध्यक्ष

द्वारा कहा गया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। **(अनुपालन– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर)**

9. गिरिडीह जिला में दिनांक–23.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–23.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक गिरिडीह जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 344 में से 217 पंचायतों के मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या के अतिरिक्त गिरिडीह जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन, आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

10. गिरिडीह जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान।

- मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वर्ष–2010 में जब मुखिया का चुनाव हुआ था, उस समय विभाग द्वारा मुखिया को यह अधिकार दिया गया था कि जिस राशन डीलर को आवंटन मिले, तो उसका सत्यापन मुखिया द्वारा किया जाएगा। यह व्यवस्था वर्ष–2016 तक चली। इसके बाद इस व्यवस्था से मुखिया को वंचित कर दिया गया। मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया कि उक्त व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाए, तभी सम्बन्धित पंचायत में सुधार हो पाएगा। डीलर द्वारा माह अगस्त एवं सितंबर का राशन नहीं दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, उन क्षेत्रों के राशन डीलर को रजिस्टर के माध्यम से राशन देने के लिये

कहा जाता है, किन्तु डीलर द्वारा मना कर दिया जाता हैं। पणन पदाधिकारी को सूचित करने पर उनके द्वारा कहा जाता है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि ई–पॉस मशीन में अंगूठा नहीं लगेगा, तो राशन नहीं मिल पाएगा। गोदाम के ठेकेदार द्वारा क्षेत्र के लाभुकों का राशन घोटाला कर दिया जाता है। कई राशन डीलरों से कहा गया कि वे राशन कम क्यों लेते हैं, तो डीलर द्वारा कहा जाता है कि यदि वे राशन कम नहीं लेंगे एवं विरोध करेंगे, तो भविष्य में उनके दुकान की जाँच कर, उन्हें **Show cause** करते हुए निलंबित कर दिया जाएगा। मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया गया कि वर्ष–2010 में मुखिया को जो अधिकार की व्यवस्था की गई थी जनवितरण प्रणाली के दुकानों की देखरेख करने का, वही व्यवस्था पुनः लागू कर दिया जाए तो गरीबों का राशन कहीं भी गबन नहीं किया जाएगा। मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक से भी आग्रह किया गया कि जिस विद्यालय में 04 शिक्षक हैं, वहाँ बच्चों की संख्या–15 है। जिस विद्यालय में बच्चों की संख्या 40 से 100 है, वहाँ शिक्षक को प्रतिनियुक्त किया जाए। आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई। उनके द्वारा कहा गया कि इस पूरे प्रक्रिया में मुखिया शामिल होना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आयोग किसी भी नीति निर्धारण का अधिकार नहीं रखता है, यह राज्य सरकार और विभाग द्वारा किया जाता है। आयोग इस संदर्भ में विभाग से पत्राचार करेगा। अध्यक्ष ने आग्रह किया कि उक्त के सम्बन्ध में आयोग में शिकायत दर्ज कराएँ।

- श्री लाला अशोक कुमार, मुखिया, पंचायत–बेडोडीह प्रखण्ड–देवरी द्वारा बताया गया कि शिकायत दर्ज करने के लिये प्रखण्ड एवं जिला में व्यवस्था किया जाए। जनता द्वारा जब शिकायत की जाती है, तो समाधान नहीं होता है। मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रखण्ड एवं उसके नीचे स्तर पर शिकायत केन्द्र होनी चाहिए, जहाँ जनता एवं मुखिया द्वारा शिकायत दर्ज की जाती, तो वहाँ भी सुनवाई होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा सुनवाई करने का प्रावधान किया गया है। प्रखण्ड स्तर में सुनवाई करने हेतु इकाई बनाने के लिये विभाग से पत्राचार किया जाएगा।

- श्री शंकर कुमार दास, मुखिया पति, पंचायत–पतरोडीह, प्रखण्ड–गिरिडीह द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या रहती है। इस अध्यक्ष ने लिखित रूप में शिकायत दर्ज करने हेतु कहा गया।
- ग्राम+पंचायत–चुजका, प्रखण्ड–गिरिडीह के मुखिया प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि राशन डीलर का कहना है कि उन्हें 02 माह अगस्त एवं सितंबर का अनाज नहीं मिला एवं डीलर द्वारा अनाज नहीं दिया जा रहा है। कहीं–कहीं डीलर द्वारा राशन का वितरण किया जाता भी है, तो राशन काट कर

दिया जाता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यदि लाभुक को पूरा अनाज नहीं मिल रहा है, तो इसकी शिकायत आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर करें।

- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि डीलर को समझाने पर मुखिया की बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जनवितरण प्रणाली में पणन पदाधिकारी को नहीं जोड़ कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को जोड़ा जाए, ताकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी साथ मिल कर व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया जा सके। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
- श्री रवीन्द्र कुमार, मुखिया, ग्राम+पंचायत–मटरूखा, प्रखण्ड–गिरिडीह द्वारा सुझाव दिया गया कि डीलर द्वारा कहा जाता है कि उन्हें गोदाम से राशन कम दिया गया है, इसलिये वे राशन कम देते हैं। क्यों नहीं औचक निरीक्षण कराते हुए जब अनाज गोदाम से जाती है, तो कहीं बीच में कांटा करा दिया जाए या एवं जब गाड़ी अनलोड होगा, तो फिर से कांटा करा दिया जाए। ऐसा करने से डीलर नहीं बोल सकता है, उन्हें राशन कम मिला है। यदि इसके बावजूद भी राशन कम दिया जाता है, तो मुखिया द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज की जाएगी।
- मो0 मेराज उदीन, मुखिया, पंचायत–नगवां, प्रखण्ड–गांवा द्वारा कहा गया कि जो सिस्टम है, उसका **follow up** करने के लिये आयोग के सहयोग की आवश्यकता है। मुखिया को जानकारी होनी चाहिए कि सम्बन्धित पंचायत को कब और कितना अनाज भेजा जा रहा है। गोदाम से भेजे जाने वाले प्रति बोरे में राशन कम होने की शिकायत मिलती है। डीलर से पूछने पर डीलर द्वारा कहा जाता है कि उन्हें एक बोरे में 05–10 कि0ग्रा0 राशन कम मिलता है। इस पर आयोग से संज्ञान लेने का आग्रह किया गया।
- श्री विक्रम कुमार मंडल, मुखिया, ग्राम+पंचायत–चुंगलो, प्रखण्ड–जमुआ द्वारा सुझाव दिया गया कि गोदाम से भेजे जाने वाले अनाज का सत्यापन गोदाम एवं प्रखण्डों में कराया जाए, इससे अनाज की चोरी नहीं होगी। डीलर द्वारा लाभुक से 02–03 बार अंगूठे का निशान लगवाया जाता है, इस पर आयोग से संज्ञान लेने हेतु आग्रह किया गया। जो गरीब और निसहाय लोग छूट गए हैं एवं संपन्न लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, तो सरकार के अधिकारियों के साथ मुखिया मिल कर संपन्न लोगों को चिन्हित कर उनका नाम कटवाने एवं गरीब लोगों का नाम जोड़ने का कार्य करें।
- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्ष–2016 तक पंजी में मुखिया द्वारा सत्यापन किया जाता था, वो नियम लागू किया जाए। यदि पणन पदाधिकारी के पास शिकायत की जाती है, तो उनके द्वारा शिकायत नहीं सुनी जाती है। प्रखण्ड में भी शिकायत दर्ज

करने की इकाई हो। चुनाव के बाद हर प्रखण्ड में टीम बना हुआ है। जिस प्रकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कोई संदेश आता है, तो पूरे मुखिया को इसकी जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से प्रखण्ड में भी यह व्यवस्था की जाए कि किस डीलर को कितना अनाज दिया जा रहा है, वाट्सएप्प के माध्यम से सभी मुखिया को जानकारी मिले, ताकि मुखिया को आवंटन की जानकारी मिल सके एवं मुखिया द्वारा डीलर के स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन किया जाय। इस पर अध्यक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक मुखिया द्वारा कहा गया कि मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा जो सुझाव दिया गया है, उसे लागू करने का प्रयास किया जाए। सुझाव दिया गया कि गोदाम से डीलर तक राशन पहुँचाने वाले संवेदक को हटा कर, उसे दिये जाने वाले राशि डीलर को दिया जाए, क्योंकि संवेदक द्वारा ही अनाज का घोटाला किया जाता है। गरीब लोगों का राशन कार्ड बनाने या नाम जोड़ने से वंचित रखा गया है। प्रखण्डों में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। हर प्रखण्डों में कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया जाए, ताकि गरीबों का नाम जोड़ा जा सके या नाम हटाया जा सके, एवं गरीबों को उनका अधिकार मिल सके। डीलर द्वारा एक माह का एडवांस अंगूठे का निशान लगवाया जाता है, इस पर रोक लगाया जाए। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा आयोग में लिखित रूप में शिकायत दर्ज करने हेतु कहा गया।
- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा कहा गया कि जब गोदाम से राशन का उठाव होता है एवं डीलर जब राशन लेकर घर आते हैं, तो गोदाम से एक पंजी का संधारण हो कि किस डीलर को कितना राशन मिला है एवं जब डीलर उस पंजी को लेकर घर आए तो वे मुखिया से हस्ताक्षर कराएँ कि उन्हें राशन प्राप्त हो गया है। वितरण के बाद जितना राशन शेष बचता है, तो इसके बाद पुनः मुखिया से हस्ताक्षर कराया जाए।
- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं AGM का वाट्सएप्प ग्रुप हो, इसमें मुखिया को भी जोड़ा जाए एवं गोदाम से जैसे अनाज dispatch हो, इसकी जानकारी मुखिया को मिल सके।
- श्री महेन्द्र प्रसाद वर्मा, संरक्षक, जिला मुखिया संघ द्वारा सुझाव दिया गया कि जो पंचायत स्तर पर निगरानी समिति गठित है, उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। प्रखण्ड स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इस सम्बन्ध में आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि जनवरी, 2024 से प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कराया जाएगा, यह आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। **(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गिरिडीह)**

- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि पंचायत Coordination meeting कर खाद्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को आयोग स्तर से निदेश दिया जाए कि मासिक समीक्षात्मक बैठक के रिपोर्ट से मुखिया को अवगत कराया जाए, ताकि मुखिया इसकी समीक्षा कर कार्रवाई कर सके एवं इससे मुखिया को तीनों विभाग की जानकारी मिल सकेगी।

11. गिरिडीह जिला में दिनांक–23.09.2023 को अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 03.30 बजे तक जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

- दिनांक–23.09.2023 को अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 03.30 बजे तक गिरिडीह जिला के परिसदन भवन में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त गिरिडीह जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन आदि उपस्थित रहे। आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए 07 दिनों के अन्दर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि कुल–53 लंबित मामलों में से 31 मामलों का निष्पादित कर दिया गया है, शेष पर कार्रवाई की जा रही है एवं निष्पादित किये गये मामलों की सूची आयोग को उपलब्ध कराई गई।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश दिया गया कि जिले से शिकायतें आ रहीं हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कुपोषण की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, परिणाम स्वरूप वे लोग कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में लेकर नहीं जा रहे हैं। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मुखिया को विश्वास में लें एवं प्रयास करें कि मुखिया अपने क्षेत्र के लोगों को योजनाओं की जानकारी दें एवं जागरूक करें। Primary Health Checkup में जो बच्चे कुपोषित पाए जाते हैं या जिन्हें केन्द्र में भर्ती करने की आवश्यकता है, उसमें काफी लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं। इसे कैसे Promote किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए, इसमें जिला समाज कल्याण

पदाधिकारी स्तर से प्रचार–प्रसार, होर्डिंग लगाना, माईकिंग कराना, वॉल पेंटिंग कराना युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें जानकारी दें कि कुपोषण को दूर करना कितना आवश्यक है। कुपोषण कई पीढ़ियों को खराब करेगा। देश भर में झारखण्ड राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुपोषण हम सभी को मिल कर खत्म करना होगा। आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर होर्डिंग/सूचना पट्ट लगवाएँ, ताकि लोग इसे पढ़ कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोग अधिकार जानेंगे, तभी अधिकार मांगेंगे। यदि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को लगे कि प्रचार–प्रसार के लिये होर्डिंग से बेहतर कोई अन्य माध्यम है, तो वे कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र से सम्बन्धित जिले के लंबित मामलों की सूची कार्रवाई हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह को उपलब्ध कराते हुए 07 दिनों के अन्दर कार्रवाई प्रतिवेदन से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह)**

- आयोग द्वारा समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यदि विभाग से सम्बन्धित आवंटन का मामला लंबित हो, या राशि समय पर नहीं आ रही हो, तो सभी पदाधिकारी आयोग को हर 03 माह में इसकी सूचना दें कि राशि नहीं आई है, या राशन नहीं आया है, ताकि आयोग को जानकारी मिल सके। यदि आयोग के समक्ष शिकायत आएगी, तो आयोग सम्बन्धित विभाग से पत्राचार करेगा एवं सम्बन्धित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि सम्बन्धित पदाधिकारी आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, तो आयोग समझेगा कि सम्बन्धित पदाधिकारी के पास आवंटन है एवं लाभुकों को लाभ नहीं मिल रहा है। **(अनुपालन–सभी सम्बन्धित पदाधिकारी, गिरिडीह)**

- राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने एवं राशन कार्ड नहीं बनने से सम्बन्धित कई लोगों की शिकायतें आयोग में आती है। इस सम्बन्ध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश दिया गया कि यदि तकनीकि कारणों से लाभुकों का काम नहीं हो पा रहा है; तो उन्हें सूचित करें कि अमूक कारण से उनका काम नहीं हो पा रहा है। उनके आवेदन का क्या स्टेटस है, इस सम्बन्ध में सूचना लाभुकों को दे दिया जाए। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह)**

- अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह से विद्यालयों के निरीक्षण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा जो कूकिंग कॉस्ट का आवंटन होता है, उसमें कभी–कभी विलंब हो जाता है, तो विद्यालय के प्रबंध समिति द्वारा उधार लेकर मध्याह्न भोजन चलाना पड़ता है, इससे समस्या होती है। इस कारण कभी–कभी विद्यालयों में

चावल, दाल, सब्जी के स्थान पर बच्चों को खिचड़ी बना कर खिलाया जाता है। लेकिन वर्तमान में आवंटन आ गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिये सामग्री के रूप में केवल चावल मिलता है, बाकी सामग्री खरीदना पड़ता है। अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित समस्या की जानकारी आयोग को लिखित रूप में दें, ताकि आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार किया जा सके। विद्यालय में बच्चों को दिये जाने वाले भोजन का मेन्यू वैसे स्थान पर अंकित कराएँ, जहाँ बच्चों की नजर पड़े। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि कई विद्यालयों में निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि भोजन लकड़ी पर बनाया जा रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि भोजन लकड़ी पर न बने, बल्कि कूकिंग गैस पर ही बने। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में पत्र निर्गत किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को विद्यालयों का निरीक्षण एवं निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह)**

- अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन, गिरिडीह से कहा गया कि जानकारी के अभाव/पारिवारिक कारणों/जागरूकता के अभाव में कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती नहीं किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग कैसे co-ordinate कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करें। इस पर सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सेविका एवं सहिया कैसे कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराएँ एवं किस तरह से उनका follow up किया जाए, इस सम्बन्ध में चर्चा की जाती है। अधिकतर बच्चे सेविका के माध्यम, कुछ बच्चे सहिया के माध्यम से एवं कुछ बच्चे स्वतः कुपोषण उपचार केन्द्र में आते हैं। स्वतः आने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। इस पर अध्यक्ष द्वारा जागरूक करने का निर्देश दिया गया, ताकि बच्चे स्वतः केन्द्र में आएँ। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि सरकार ने इसे summer अभियान के रूप में जोड़ लिया है एवं इसी माह जिले में शुरू किया जाएगा। जिस गांव में अधिक बच्चे कुपोषित हैं, वहीं ऑन स्पॉट बच्चे का जांच किया जाएगा एवं जो बच्चे कुपोषित चिन्हित होंगे, उन्हें वहीं से एंबूलेंस के माध्यम से केन्द्र में भर्ती किया जाएगा।। इसके लिये वहाँ 02 एंबूलेंस, 01 डॉक्टर एवं ए0एन0एम0 के साथ जा कर लोगों को जागरूक किया जाएगा एवं उपचार हेतु कुपोषित बच्चों को केन्द्र में लाया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में इनके सम्बन्ध में ऐसे स्थान पर दिवार लेखन कराएँ, जहाँ सबकी नजर पड़ सके। **(अनुपालन–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, गिरिडीह)**

* अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश दिया गया कि लोगों को नहीं पता कि उन्हें शिकायत कहाँ करनी है। इस हेतु जिस प्रकार आयोग ने अपना वाट्सएप्प नं0 जारी किया है, उसी प्रकार वे भी अपना वाट्सएप्प नं0 जारी करें। उस नं0 का प्रचार–प्रसार करें एवं विद्यालयों, जनवितरण प्रणाली केन्द्रों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी नं0 अंकित कराएँ। **(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गिरिडीह)**

12. आयोग की सदस्या का संबोधन

* आयोग की माननीय सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा चारों जिलों (पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह) के भ्रमण के दौरान मुखियागण को संबोधित करते हुए बताया गया कि अक्सर लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 सिर्फ जनवितरण प्रणाली से ही सम्बन्धित है, किन्तु इस अधिनियम के तहत् जनवितरण प्रणाली के अतिरिक्त आंगनबाड़ी, पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि कार्यक्रम भी संचालित है। गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र में निबंधन कराने के बाद उन्हें दो किस्तों में 5000.00 रू0 की राशि दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत् जो महिलाएँ संस्थागत प्रसव कराती हैं, उन्हें 1400.00 रू0 की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में दूसरी संतान के रूप में यदि बालिका का जन्म होता है, तो उन्हें भी एकमुश्त 6000.00 रू0 की राशि दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को Food Packet पोषाहार के रूप में दिये जाने एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार दिये जाने का प्रावधान है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का शरीर काफी कमजोर होता है, इसलिये उन्हें पैकेट में दलिया दिया जाता है, जो पूरक पोषण है। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि उनके क्षेत्र में जो भी गर्भवती/धात्री महिलाएँ हैं, उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा जो पोषाहार का पैकेट दिया जाता है, उसे नियम के अनुसार खाने के लिये प्रेरित करें। आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को नास्ता में सूजी का हलवा, गुड़, मूंगफली एवं दोपहर में सब्जी युक्त खिचड़ी दिया जाता है।

- सदस्या द्वारा बताया गया कि विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) दिये जाने प्रावधान है। सभी मुखियागण को पी0एम0 पोषण से सम्बन्धित मेन्यू उपलब्ध कराया गया। सप्ताह में दो दिन बच्चों को अण्डा दिया जाना अनिवार्य है। यदि किसी दिन विद्यालय में छुट्टी के कारण बच्चों को अण्डा नहीं मिल पाता है, तो उसके अगले दिन अण्डा दिये जाने एवं शाकहारी बच्चों को अण्डा के स्थान पर मौसमी फल दिये जाने का प्रावधान है। इसकी निगरानी मुखियागण को ही करनी है।
- कुपोषण उपचार केन्द्र के सम्बन्ध में मुखियागण को बताया गया कि कुपोषित बच्चों का उपचार कुपोषण उपचार केन्द्र में किया जाता है। लोग केन्द्र में आना नहीं चाहते हैं। केन्द्र में बच्चे के साथ रहने वाली उसकी माँ को 130.00 रू0 के अतिरिक्त भोजन भी दिया जाता है। मुखियागण का यह कर्तव्य है कि कुपोषित बच्चों को केन्द्र में उपचार कराने हेतु भर्ती कराएँ एवं बच्चों के माता–पिता को प्रेरित एवं जागरूक करें, ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके।
- जनवितरण प्रणाली के तहत् कई बार आयोग में यह शिकायतें आती हैं कि लाभुक को राशन कम मिलता है या किसी माह का राशन नहीं मिलता है। ई–पॉस से निकलने वाला पर्ची डीलर द्वारा नहीं दिया जाता है। सभी मुखिया अपने पंचायत के लाभुकों को बताएँ कि वे जब राशन लेने जातें हैं, तो पर्ची की मांग जरूर करें एवं पर्ची के अनुसार ही राशन लें। राशन कार्ड बनाने एवं कार्ड में नाम जोड़ने सम्बन्धी शिकायतें आती रहती हैं। जिले में वेकेंसी नहीं होने के कारण राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है या राशन कार्ड नहीं बन पाता है। ऐसे में मुखिया की भूमिका बढ़ जाती है। कई ऐसे सम्पन्न परिवार हैं, जो राशन कार्ड बना कर लाभ ले रहे हैं। ऐसे में मुखियागण अपने पंचायत में लिस्ट बनाएँ एवं जो सम्पन्न लोग हैं, उनसे राशन कार्ड सरेंडर करने हेतु आग्रह करें। यदि वे लोग स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का लिस्ट बना कर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को दें एवं उनका कार्ड रद्द कराएँ ताकि योग्य लाभुकों का राशन कार्ड बनाया जा सके। किसी कार्डधारी को अनाज कम नहीं मिले, विद्यालय में बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन मिले, आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके, यह मुखिया को ही सुनिश्चित करना है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत योजना को लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए मुखियागण का सहयोग अपेक्षित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि से सम्बन्धित गड़बड़ी होने पर इसकी शिकायत जिला स्तर पर अपर

समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करें। समाधान नहीं होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें।

आयोग के अध्यक्ष का संबोधन

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा चारों जिलों (पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह) के भ्रमण के दौरान इन जिलों के मुखिया से संवाद कार्यक्रम में उपस्थित मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को लागू करने में जो कमजोरियाँ एवं कमियाँ है, वो मुखियागण से विमर्श कर ही दूर हो सकता है। जिले में कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि जिले में क्या–क्या समस्याएँ आ रही हैं एवं इसका निदान कैसे किया जा सकता है। समस्याओं के निदान करने में आयोग से ज्यादा भूमिका मुखियागण की है। अधिनियम से सम्बन्धित पूरी व्यवस्था पंचायत के मुखिया पर ही टिकी हुई है। जिस प्रकार नींव मजबूत होगा, तो इमारत भी मजबूत होगी। उनके द्वारा कहा गया कि मुखिया समाज के नींव होते हैं, वे सशक्त और जागरूक होंगे, तभी आम जनता भी सशक्त और जागरूक हो पायेगी, योजनाएँ धरातल पर उतर सकेगी एवं कोई भी लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लाभ से वंचित नहीं होंगे। जब तक लोग चुप रहेंगे, तब तक वे अपने अधिकारों से वंचित होते रहेंगे। अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ समाज के गरीब एवं निचले स्तर के लोगों के लिये है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएँ संचालित है, किन्तु जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में लाभुकों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। अध्यक्ष द्वारा मुखियागणों से कहा गया कि कुल–04 योजनाएँ, यथा–जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं कुपोषण उपचार केन्द्र आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें मुखिया की सशक्त भूमिका है, क्योंकि निगरानी समिति में सम्बन्धित पंचायत के मुखिया उस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह जानकारी मुखियागण को होनी चाहिए। आयोग की ओर से मुखियागण को दिये गये किट में सारी योजनाओं से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गई है। निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होने के नाते मुखिया को यह संवैधानिक अधिकार है कि वे जनवितरण प्रणाली,

आंगनबाड़ी, पी0एम0 पोषण (मध्याहन भोजन), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं कुपोषण उपचार केन्द्र इन सारी योजनाओं की बैठक कर इसकी अनुशंसा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को कर सकते हैं। जिले के अपर समाहर्त्ता जिले के पदेन जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं। यदि मुखिया की अनुशंसा नहीं सुनी जाती है अथवा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा किये गये कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आयोग के वाट्सएप्प नंबर–9142622194 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिले में संचालित योजनाओं की निगरानी करना मुखिया की ही जिम्मेवारी है। आम जनता को जागरूक एवं सशक्त बनाना तथा अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत शिकायत आयोग तक पहुँचे, यही इस संवाद का मुख्य उद्देश्य है। इसलिये आयोग ने अपना टैग लाईन बनाया है– ***"अधिकार जानें, अधिकार मांगे"***। जिले के असहाय, एकल व्यक्ति, विधवा महिला, विकलांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुँच सके, यह सुनिश्चित करने में मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी मुखियागण के बीच आयोग द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित किट का वितरण किया गया।

- यदि लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, योजनाओं में प्रावधान क्या है, प्रावधान का लाभ नहीं मिलने पर शिकायतें कहाँ करनी है। मुखियागण से आग्रह किया गया कि उन्हें जो बातें बताई जा रही है, वे बातें मुखिया अपने पंचायत के लोगों को बताएँ। जिस प्रकार आयोग मुखिया से संवाद कर रहा है, उसी प्रकार मुखिया भी पंचायत के लोगों के साथ संवाद करेंगे, तो लोगों को भी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार योजनाएँ बना सकती है, राशि आवंटित कर सकती है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जनता तक नहीं पहुँच पा रही है। योजनाओं का क्रियान्वयन कराना हम सभी की जिम्मेवारी है।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि परिसदन भवन में गिरिडीह जिले के डीलर Association के काफी लोग उनसे मिलने आए एवं अपनी समस्या बताई कि उन्हें कमीशन नहीं मिलता है। उनकी समस्याएँ वाजिब है एवं डीलरों के समस्याओं के समाधान हेतु विभाग से पत्राचार किया जाएगा। राशन डीलर भी हमारे समाज के अंग हैं, किन्तु किसी भी डीलर को इस प्रकार के तर्क के आड़ में उन्हें गरीबों का हक छीनने की छूट नहीं दी जा सकती है। कई बार डीलर द्वारा तर्क दिया जाता है उन्हें गोदाम से ही अनाज कम मिलता है अथवा जो कमीशन मिलता है, वह पर्याप्त

नहीं है, उससे उनका घर नहीं चल पाता है, तो मुखिया उनसे आयोग में शिकायत दर्ज करने हेतु कहें। यदि डीलर द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज की जाती है, तो उनका नाम सार्वजनिक किये बगैर वे अधिकारी बख्शे नहीं जाएँगे, जो अधिकारी कम अनाज देते हैं या जो इस पूरे प्रक्रिया में संलिप्त हैं। डीलर द्वारा तर्क दिया जाता है कि उन्हें आवंटन कम मिला है, इसलिये वे लाभुकों को पूरा अनाज नहीं दे सकते हैं। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि चूंकि डीलर के पास पिछले माह का बैलेंस रहने के कारण ही उन्हें अगले माह आवंटन कम मिलता है। ऐसे तर्क को स्वीकार नहीं करें। किसी भी कीमत में लाभुकों को अनाज कम नहीं मिलना है। यदि अनाज कम मिलता है, तो इसकी शिकायत अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष करें, निदान नहीं होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0–**9142622194** पर शिकायत दर्ज करें। मुखियागण से आग्रह किया गया कि आपसी रंजिश अथवा निजी दुश्मनी निकालने के लिये शिकायत का सहारा नहीं लें, क्योंकि इससे आयोग का भी समय नष्ट होगा एवं आपकी भी ऊर्जा व्यर्थ होगी। शिकायत प्रमाणित होगी, तभी आयोग कार्रवाई करेगा। प्रमाण सहित शिकायत आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर भेजें, यदि मुखिया चाहें कि प्रमाण सार्वजनिक नहीं हो, तो इसमें भी आयोग सहयोग करेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत योजना समाज के गरीब, वंचित जो पीछे छूट गये हैं, या जिनके सामने यह संकट है वे अपने संसाधन से खाद्यान्न नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे लोगों के लिये ही यह योजना बनाई गई है। उन्हें खाद्यान्न मिल सके, इसलिये जनवितरण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पोषाहार मिल सके, इसलिये आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है। उन्हें पौष्टिकता मिल सके, इसलिये विद्यालयों में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) की व्यवस्था की गई है। यदि आयोग एवं मुखिया एक दूसरे के पूरक बन जाएँ, तो अधिनियम सही ढंग से लागू हो सकता है।

- अध्यक्ष ने बताया कि राशन कार्ड बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी हरा राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रिक्ति नहीं रहने के कारण नया राशन कार्ड भी निर्गत नहीं किया जा सकता है। पंचायत के मुखिया को भी इस बात का संज्ञान होगा कि कई सम्पन्न परिवारों के पास राशन कार्ड है, जबकि गरीब एवं असहाय व्यक्तियों का कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस हेतु सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि राशन कार्ड के लिये जो लोग अयोग्य हैं एवं यदि उनके पास राशन कार्ड है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर, उनका राशन कार्ड सरेंडर कराते हुए, योग्य लोगों को राशन कार्ड बनवाने में सहयोग करें। मुखिया समाज की अहम कड़ी हैं, उनके सहयोग के बिना यह कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिये आप जागरूक होंगे, तो समाज भी जागरूक होगा। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे लाभुकों को उनके अधिकार दिलाने में सहायता करें।

- अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कई बार राशन डीलर द्वारा तर्क दिया जाता है कि ई–पॉस मशीन में नेटवर्क नहीं है, या वैसे लाभुक जिनका अंगूठा घिस जाने के कारण मशीन में अंगूठे का निशान नहीं लग पाता है, उन्हें राशन देने से मना कर दिया जाता है। अध्यक्ष द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी लाभुक को राशन देने से मना नहीं किया जा सकता, इसलिये अपवाद पंजी का प्रावधान किया गया है। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या हो अथवा जिनका अंगूठे का निशान नहीं लग पाता हो, तो डीलर उन्हें अपवाद पंजी के माध्यम से राशन देंगे।

- आयोग के अध्यक्ष ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी वाले होर्डिंग्स और अन्य माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर लोगों को जागरूक करें। यथा संभव जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कुपोषण उपचार केन्द्र आदि से सम्बन्धित होर्डिंग्स पंचायत भवनों में लगाना सुनिश्चित करवायें। अध्यक्ष ने देवघर जिला में मुखिया संवाद के दौरान अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि हर प्रखण्ड में 07 दिनों के अन्दर या भादो मेला के बाद सभी पंचायत के मुखिया के साथ बैठक करें। बैठक में निगरानी समिति की Formal Briefing कराएँ। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि 10 हजार रू0 पंचायत को मिली है या नहीं। यदि नहीं मिली है, तो उपलब्ध कराया जाए। उक्त राशि को खर्च कैसे करना है, राशि खर्च करने के बाद इसका विवरण कैसे सौंपना है, आदि की जानकारी सभी मुखिया को दिया जाए।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागणों से अपने पंचायत के किसी सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित होर्डिंग्स/पोस्टर लगाने एवं उसमें खाद्यान्न तथा पोषाहार से सम्बन्धित प्रत्येक पहलुओं को अंकित करने का अनुरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि जनवितरण प्रणाली वितरण केन्द्र के बाहर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें राशन का आवंटन, राशन वितरण की तिथि, पात्रता के अनुसार राशन का वितरण एवं लाभुकों की सूची अंकित करायें। इसी तरह विद्यालयों में संचालित पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सरकार के प्रावधान के अनुसार मेन्यू के आधार पर मिलने वाला मध्याह्न भोजन/पोषाहार, खाने की पौष्टिकता, लाभुकों की संख्या आदि अंकित हो। विद्यालयों में मेन्यू ऐसे स्थान पर अंकित

कराएँ, जहाँ बच्चों की नजर पड़ सके। साथ ही मध्याह्न भोजन गैस सिलेंडर में ही बने, यह भी मुखिया को ही सुनिश्चित करना है। यदि सूचना पट्ट अंकित नहीं हो तो उसका फोटो क्लिक कर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को भेजें। उनके द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाता है तो इससे आयोग को अवगत कराएँ। उक्त कार्य हेतु यदि मुखिया के फंड से होर्डिंग्स/पोस्टर लगाना संभव नहीं हो, तो वे जिला को पत्र लिखें। यदि जिला से संभव नहीं हो तो आयोग को पत्र लिखें, आयोग इस कार्य हेतु सहयोग करेगा।

- अध्यक्ष द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए बताया गया कि कुपोषण के मामले में झारखण्ड राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुपोषण के विरूद्ध हम सभी को मिल कर प्रयास करना होगा। किसी बच्चे में यदि कुपोषण के लक्षण दिखते हैं, तो उनके अभिभावक उन्हें कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती नहीं कराते हैं। कुपोषण आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद करती है। केन्द्र में भर्ती बच्चे के साथ रहने वाली उनकी माता को केन्द्र में रहने एवं भोजन के साथ–साथ 130.00 रू0 की राशि प्रतिदिन दिये जाने का प्रावधान है।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि किसी की मौत भूख से न हो एवं किसी के समक्ष भोजन का संकट न हो, इसलिये सरकार द्वारा झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष नामक फंड के तहत् प्रत्येक पंचायत के मुखिया को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अन्तर्गत असहाय/एकल व्यक्ति/विधवा/समाज के कमजोर वर्ग अथवा जिन लोगों के सामने भोजन का संकट हो, उन्हें बाजार दर पर अनाज खरीद कर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से मुखिया को प्राप्त 10,000/– रू0 की राशि समाप्त होने पर, वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचित करें, उन्हें पुनः 10,000/– रू0 का राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान दें कि किन्हीं को अनाज से सम्बन्धित कोई समस्या न हो।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आयोग प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस 09 दिसम्बर को मनाता है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 में बेहतर कार्य करने वाले अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को सम्मानित किया गया था। आयोग ने यह तय किया है कि इस वर्ष राज्य के हर जिले के ऐसे पंचायतों के मुखिया जो अपने पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करायेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक जिला से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग पुरस्कृत किये गये मुखिया के पंचायतों का भ्रमण करेगा, इसकी वीडियो

रिकॉर्डिंग कराते हुए सभी न्यूज चैनलों एवं अखबारों में मुखिया के बारे में दिखाया और बताया जाएगा, ताकि मुखिया की भी ख्याति हो एवं अन्य जिलों के लोग भी सम्बन्धित पंचायत से प्रभावित हों तथा उनसे सीखें। आयोग के स्थापना दिवस 9 दिसम्बर के दिन कार्यक्रम आयोजित कर राज्य भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुखिया को पुरस्कृत और सम्मानित किया जायेगा।

इसके साथ पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह भ्रमण का कार्यक्रम समाप्त हुआ।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।